

बोर्ड सचिवालय

बीएस/164/का.आ./2017

13 फरवरी, 2018

परिपत्र संख्या 124/2018

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम पीईसी लिमिटेड ने सूचित किया है कि निम्नलिखित पार्टियों को उन्होंने ब्लेकलिस्ट कर दिया है और पीईसी के साथ अपने बकाया का निपटान होने तक के कारण व्यापार करने पर रोक लगा दी है:-

क्रम सं.	पार्टी का नाम व परिचालन का क्षेत्र	पंजीकृत कार्यालय	कार्यशील निदेशक
1.	मै.सबरी एक्विजम प्रा. लि. स्टील स्क्रैप की अधिप्राप्ति	ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सं.114 और 115, वल्लाजाह रोड, चैन्ई-600002	1. शशि कुमार नायर (डीआईएन 00702459) 2. लीना शशि (डीआईएन 0167275)

मै.सबरी एक्विजम प्रा. लि. के श्री शशि कुमार नायर और सुश्री लीना शशि निम्नलिखित कंपनियों के भी निदेशक हैं:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन सं.
1.	सबरी टेक्सटाईल प्रा.लि.	यू17122टीएन2006पीटीसी061481
2.	सबरी टीएमटी किंग प्रा.लि.	यू27100टीएन2008पीटीसी067016
3.	सबरी अलौय एंड मेटल्स इंडिया प्रा. लि.	यू27109टीएन2004पीटीसी053479
4.	सबरी इंफ्रा प्रा.लि.	यू45206टीएन2013पीटीसी89410
5.	केयम प्रा. लि.	यू51909टीएन2013पीटीसी093455
6.	सबरी प्रोपर्टी प्रा.लि.	यू65993टीएन1992पीटीसी022964

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय के सभी प्रभागों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त पार्टियों से लेन देन करते समय पर्याप्त सुरक्षण का ध्यान रखें और एमएमटीसी के हितों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान रखें ।

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव

प्रति:

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/निदेशकगण/मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. कारपोरेट कार्यालय के सभी प्रभागीय प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख
3. महाप्रबंधक(सिस्टमस) कृपया उपरोक्त परिपत्र को एमएमटीसी की इंटरनेट/वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।